निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 137/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

कमल जीत सिंह पूनिया पुत्र श्री उम्मेद सिंह पूनिया जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, नीयर जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 उम्मेद सिंह पूनिया पुत्र स्व॰ श्री जयलाल लम्बरदार जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, नीयर जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर

2 श्रीमती साहब कौर धर्मपत्नी श्री उम्मेद सिंह पूनिया जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, नीयर जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तरित किये जाने प्रार्थना पत्र संख्या 6/2021 ब उनवानी उम्मेद सिंह बनाम कमलजीत सिंह, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ।

उपस्थित:-

1. श्री एम पी सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 6/2021 ब उनवानी उम्मेद सिंह बनाम कमलजीत सिंह, सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007 के तहत दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकण में प्रार्थी की तामील होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा केवल मात्र. एक पेशी जबाब हेतु ली गई थी तथा उसके बाद दिनांक 22.09.2021 तारीख पेशी प्रार्थी के जबाब हेतु नियत थी। दिनांक 22.09.2021 को जब प्रार्थी व उसके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को मोजूदा प्रार्थना पत्र में जबाब प्रस्तुत करने व बहस करने हेतु कहा गया, जिस पर प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से जबाब हेतु अवसर चाहा गया, परन्तु न्यायालय द्वारा पहले तो प्रार्थी को जबाब हेतु अवसर देने से मना कर दिया गया तथा बहस करने हेतु कहा गया फिर प्रार्थी द्वारा काफी निवेदन किये जाने पर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 24.09.2021 की तारीख पेशी प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस हेतु नियत की गई तथा बहस नहीं किए जाने पर गुणावगुण का निर्णय पारित करने के संबंध में आदेशिका पारित कर दी गई जबकि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रार्थना पत्र का निस्तारण अप्रार्थीगण पर तामील होने के 90 दिवस की अवधि के भीतर करना होता है तथा उक्त अवधि उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा 30 दिवस के लिए बढाई भी जा सकती है। जबकि उक्त प्रकरण में अभी 90 दिवस की अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से प्रार्थी पर जवाब व बहस करने हेतु दवाव बनाया जा रहा है। दिनांक 24.09.2021 को जब प्रार्थी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तो देखा कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पहले से ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे बैठे हुए है तथा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होने पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर आये तथा पीठासीन अधिकारी भी न्यायालय में आकर बैठ गये। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.09.2021 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात बहस हेतु समय चाहा, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को कहा गया कि आज वे बहस नहीं करेंगे तो, गुणावगुण पर आदेश पारित कर दिया जायेगा तथा प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा काफी निवेदन किये जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2021 की तारीख पेशी बहस हेतु नियत की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ किये जा रहे व्यवहार के कारण प्रार्थी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व आदेश पारित कर प्रार्थी को वेदखल करवा दिया जायेगा। इस कारण इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्य न्यायालय को अन्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्वित प्रार्थना पत्र को अन्य न्यायालय मे सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने पर ही प्रकरण का निष्पक्ष तौर पर निस्तारण हो सकेगा तथा प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सकेगा। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसका पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थीगण की तामील होने के 90 दिवस की अवधि में निस्तारण करना होता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे होने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता को कई केसों के सिलसिले में पीठासीन अधिकारी के पास जाना पडता है। अप्रार्थीगण की आयु लगभग 82 वर्ष के आस पास है। प्रार्थी जान बूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है इसी मन्शा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के तहत विचाराधीन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 24.09.2021 को पेश किये जाने के पश्चात पत्रावली बाबते बहस दिनांक 29.09.2021 को नियत की गई थी। पत्रावली बहस हेतु नियत किये जाने के पश्चात अप्रार्थी द्वारा यह मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। चूंकि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाने का प्रावधान है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे होने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता को अन्य केसों के सिलसिले में पीठासीन अधिकारी के पास जाना पडता है। प्रार्थी के इस आरोप का कोई ठोस आधार नही है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 50,1 राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी आमेर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रंजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर